UPAL010097912016

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़।
उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा)
सत्र परीक्षण संख्या–671/2016

राज्य

बनाम

1– रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, निवासी जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़।
2– नागेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, निवासी जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़।
3– नरसिंह पाल पुत्र श्यामलाल, निवासी आमा मधापुर, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़।

.......................अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं0–142/2015
धारा–376डी, 354 व 506
भारतीय दण्ड संहिता
थाना जवॉ, जिला अलीगढ़।

एवम्

UPAL010028622016

सत्र परीक्षण संख्या–235/2016

1– नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह, निवासी जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़।

मुकदमा अपराध सं0–142/2015
धारा–376डी, 354 व 504
भारतीय दण्ड संहिता
थाना जवॉ, जिला अलीगढ़।

निर्णय

1– थाना जवॉ जिला अलीगढ़ की पुलिस द्वारा थाना जवॉ जिला अलीगढ़ के अपराध संख्या–142/2015 में अभियुक्तगण रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, नागेन्द्र पुत्र लाखन सिंह एवं नरसिंहपाल पुत्र श्यामलाल के विरूद्ध धारा–376डी,354,506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या–41ए/2016 दिनांकित–26.07.2016 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–04, अलीगढ़ के न्यायालय में तथा उपरोक्त अपराध संख्या–142/2015 में ही अन्य सह अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह के विरूद्ध धारा–376डी, 504 व 354 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र संख्या–41/2016 दिनांकित–18.02.2016 प्रेषित किये जाने पर उक्त उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त नरेन्द्र का प्रकरण दिनांक–08.03.2016 को तथा अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल का प्रकरण दिनांक–17.08.2016 को सत्र न्यायालय द्वारा अनन्यतः परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय, अलीगढ़ को सुपुर्द किया गया। तदुपरान्त सत्र न्यायालय, अलीगढ़ के आदेश से दोनों पत्रावलियॉ स्थानांतरित होकर विचारण हेतु अन्ततः इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– चूंकि सत्र परीक्षण संख्या–671/2016 एवं 235/2016 एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण पूर्व के मूल सत्र परीक्षण संख्या–235/2016 में ही सम्पूर्ण साक्ष्य अंकित किये गये हैं। इसलिए उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण पत्रावलियों में एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया सुधा देवी पत्नी आशीष ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया सुधा देवी पत्नी श्री आशीष निवासी सरगवा एटा वर्तमान में रिंकी देवी के यहॉ सरोज नगर में किराये पर रहती है। प्रार्थिया का रिंकी देवी के साथ रजनी देवी पत्नी हरिचन्द्र निवासी डोरी नगर के यहॉ आना जाना था। वहॉ प्रार्थिया एवं रिंकी देवी की मुलाकात रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह एवं नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह निवासीगण जिरौली हीरासिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ से हुई थी। ये लोग आये दिन प्रार्थिया को रजनी के यहॉ मिलते थे। वाका दिनांक–10.06.2015 को प्रार्थिया अपनी मकान मालकिन रिंकी देवी के साथ बैलोन माता के दर्शन करने के लिए गयी थी। वहॉ से लौटते वक्त लगभग शाम के 07:30 बजे जवॉ के पास नहर के पुल पर गाड़ी खराब हो गयी थी। गाड़ी खराब होने की वजह से हम लोग सड़क पर उतरकर किसी वाहन का इंतजार करने लगे, तभी पीछे की तरफ से दो मोटर साइकिलों पर रूपेन्द्र पुत्र

लाखन सिंह, एक अज्ञात के साथ एवं नरेन्द्र सिंह पुत्र वीरी सिंह भी एक अज्ञात के साथ आ गये एवं हमसे वहॉ खड़े होने का कारण पूछा तो हमने सारी बात बतायी कि हमारी गाड़ी खराब हो गयी है तो इन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। पूर्व से परिचित होने की वजह से एवं समय अधिक होने की वजह से हम लोग इनके साथ बैठ गये थे। ये लोग जवां में एक पान की दुकान पर रूके एवं कुछ सामान इन्होंने खरीदा। उस समय हम लोग साइड में थे, वहॉ इन्होंने आपस में कुछ बातें की तो हम लोगों ने पूर्व से परिचित होने की वजह से कोई सन्देह नहीं किया। ये लोग पुनः हमें बिठाकर चल दिये। जवां पार करते ही इन्होंने अपनी मोटर साइकिलें बम्बा से कासिमपुर की ओर मोड़ दी और कहा कि इधर से जल्दी पहुॅच जायेंगे एवं कुछ दूर चलकर एकान्त में इन्होंने मोटर साइकिलें रोक दीं एवं हम कुछ समझते, तब तक रूपेन्द्र एवं एक अज्ञात ने मुझे पकड़ लिया और तमंचा तानते हुए कहा कि साली आवाज निकाली तो तुझे जान से मार देंगे एवं नरेन्द्र एवं एक अज्ञात ने रिंकी देवी को पकड़ लिया एवं हम दोनों के साथ जबर्दस्ती करने लगे। रिंकी देवी को किसी तरह से इनके चंगुल से निकलकर भाग गयी तो इन चारों ने मुझ प्रार्थिया को दबोच लिया एवं बारी–बारी से बलात्कार करने लगे। लगभग आधे घण्टे बाद रिंकी देवी को दो राहगीर जयवीर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह, आला सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी कसूमी थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर मिले तो उन्हें सारी घटना इन लोगों को बतायी, तो ये लोग रिंकी देवी के साथ घटना स्थल पर आये। इन लोगों के आने के बाद ये चारों लोग अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गये। भागते समय एक मोटर साइकिल का नम्बर पढ़ लिया जो यू0पी081ए.ए.–0836 था। इसके बाद हम लोग थाने पहुॅचे और सारी घटना के सम्बन्ध में जाकर बताया तो थाने में हमसे कह दिया कि साहब नहीं हैं घर जाओ। इसके बाद मुझ प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र बजरिये रजिस्टर्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ0 धारा–156(3)दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिसपर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़ द्वारा दिनांक–16.07.2015 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा थानाध्यक्ष जवां, अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने के आदेश पारित किये गये।

4– न्यायालय के आदेश पर थाना जवां, जिला अलीगढ़ पर दिनांक–28.07.2015 को समय 14:00 बजे अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नरेन्द्र एवं अज्ञातों के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–142/2015 अ0 धारा–376,354,504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 के रूप में पंजीकृत की गयी। जिसका तस्किरा मुकदमा कायमी जी.डी. नं0–26 दिनांक–28.07.2015 को समय 14:00

बजे प्रदर्श क–8 के रूप में किया गया।

5– इस प्रकरण की सर्वप्रथम विवेचना उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम पी0डब्लू0–7 के द्वारा दिनांक–28.07.2015 को ग्रहण कर नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक विन्टू कुमार अंकित किये तदुपरान्त वादिया सुधा देवी तथा पीड़िता/चश्मदीद गवाह श्रीमती रिंकी देवी अंकित कर घटनास्थल का निरीक्षण का नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 तैयार किया गया। पीड़िता श्रीमती सुधा देवी को डॉक्टरी परीक्षण हेतु दीनदयाल अस्पताल एवं मोहनलाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय ले जाकर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा पीड़िता के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान का अवलोकन कर केस डायरी में इन्द्राज किया गया तथा पीड़िता रिंकी देवी की चिकित्सीय रिपोर्ट को संलग्न केस डायरी किया गया एवं अभियुक्तगण के यहॉ दविश दी गयी, इसके बाद इस विवेचक के स्थानांतरण के बाद विवेचना निरीक्षक छोटेलाल पी0डब्लू0–6 द्वारा की गयी। इनके द्वारा पूर्व केस डायरी का अवलोकन करते हुए जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये तथा गवाह एफ.आई.आर. जयवीर सिंह, आलासिंह के बयान भी अंकित किये गये तथा धारा–164 दं0प्र0सं0. के बयान के अवलोकन उपरान्त धारा–376डी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण नागेन्द्र सिंह, नरसिंहपाल के नाम प्रकाश में आये। इसके उपरान्त गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–41/2016 प्रदर्श क–10 अ0 धारा–376डी, 354 व 504 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया तथ अन्य अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी जिनकी गिरफ्तारी हेतु दविश दी गयी तथा एस.सी.डी. किता की गयी परन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र प्राप्त कर अभियुक्तगण के सम्भावित स्थानों पर दविश दी गयी तथा न्याालय से अभियुक्त्गण नरसिंहपाल का आत्मसपर्मण करने का रोवकार प्राप्त कर संलग्न सी.डी. किया गया तथा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर कारागार में जाकर नरसिंहपाल का बयान अंकित किया गया, इसके बाद इस साक्षी का स्थानांतरण हो गया तथा विवेचना प्रचलित रही। इस प्रकरण की शेष विवेचना निरीक्षक नीरज मलिक पी0डब्लू0–5 द्वारा की गयी उनके द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा सम्पादित केस डायरी व एस.सी.डी. का अवलोकन कर अभियुक्त रूपेन्द्र व नागेन्द्र का वारण्ट बनवाकर रिमाण्ड लिया गया। तदुपरान्त महिला आरक्षी रजनी निर्मल का बयान अंकित कर अभियुक्तगण रूपेन्द्र पुत्र लाखन, नागेन्द्र पुत्र लाखन व नरसिंहपाल पुत्र श्यामलाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं0–41ए/2016 प्रदर्श क–9 धारा–376डी, 354 व 504 भा0दं0सं0 न्यायालय प्रेषित किया गया जिनपर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए धारा–207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन

उपरान्त अभियुक्त नरेन्द्र का प्रकरण दिनांक–08.03.2016 को तथा शेष अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र एवं नरसिंहपाल का प्रकरण दिनांक–17.08.2016 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया जो क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या–235/2016 एवं 671/2016 के रूप में पंजीकृत हुए तथा जरिये अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुए हैं।

9– सत्र परीक्षण संख्या–235/2016 राज्य बनाम नरेन्द्र में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़ द्वारा दिनांक–12.05.2016 को अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध धारा–354, 504 एवं 376डी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप विरचित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या–671/2016 राज्य बनाम रूपेन्द्र आदि में दिनांक–03.11.2016 को अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र एवं नरसिंहपाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–354, 506 एवं 376डी के दण्डनीय अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप में दोषी न होने का अभिवाक किया गया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

10– दौरान विचारण अभियोजन की ओर से अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न मौखिक एवम् प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैः–

मौखिक साक्ष्यः–

1– पी0डब्लू0–1 श्रीमती सुधा (वादी मुकदमा/पीड़िता)

2– पी0डब्लू0–2 रिंकी देवी (पीड़िता)

3– पी0डब्लू0–3 डॉ0 वान्या मिश्रा (चिकित्सक)

4– पी0डब्लू0–4 एच.सी. 165 बिन्टू कुमार (एफ.आई.आर. लेखक)

5– पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक (विवेचनाधिकारी)

6– पी0डब्लू0–6 निरीक्षक छोटेलाल (विवेचनाधिकारी)

7– पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम (विवेचनाधिकारी)

11– प्रलेखीय साक्ष्य :–

क्रम सं0	प्रपत्र	प्रदर्श	सबित करने वाले साक्षी का नाम
1	एस.एस.पी. को दिया गया प्रार्थना पत्र	क–1	वादी/पीड़िता पी0डब्लू0–1 श्रीमती सुधा
2	पंजीकृत डाक रसीद	क–2	वादी/पीड़िता पी0डब्लू0–1 श्रीमती सुधा
3	प्रार्थना पत्र अ0 धारा–156(3) दं0प्र0सं0	क–3	वादी/पीड़िता पी0डब्लू0–1 श्रीमती सुधा
4	पीड़िता का धारा–164 दं0प्र0सं0 बयान	क–4	वादी/पीड़िता पी0डब्लू0–1 श्रीमती सुधा
5	पीड़िता रिंकी देवी का बयान अ0 धारा–164 दं0प्र0सं0	क–5	पी0डब्लू0–2 पीड़िता रिंकी सिंह

6	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	क–6	पी0डब्लू0–3 डॉ0 वान्या मिश्रा
7	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–7	पी0डब्लू0–4 एच.सी. बिन्टू कुमार
8	कायमी जी.डी. नं0–26	क–8	पी0डब्लू0–4 एच.सी. बिन्टू कुमार
9	अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल के विरूद्ध आरोप पत्र	क–9	पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक
10	अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र	क–10	पी0डब्लू0–6 निरीक्षक छोटेलाल
11	नक्शा नजरी घटनास्थल	क–11	पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मौ0 असलम

12– अभियोजन की ओर से उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विद्वान अभियोजन अधिकारी की प्रार्थना पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

13– अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा–313दं0प्र0सं0/351 बी.एन.एस.एस. अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त गण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए गॉव की पार्टीबन्दी एवं रंजिश से झूंठा फंसाये जाना कहा गया है। बचाव में सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

14– अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू0–1 के रूप में सुधा पत्नी अतवीर वादी मुकदमा/पीड़िता** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि, ''हाजिर अदालत अभियुक्त रूपेन्द्र, नरेन्द्र, नरसिंहपाल व नागेन्द्र को मैं जानती हूँ। घटना अब से लगभग दो वर्ष पूर्व मैं माता बैलोन के दर्शन करने अपने मकान मालकिन रिंकी देवी के साथ गयी थी। दर्शन करके मैं सांय को बस से वापस आ रही थी तो बस जवां नहर के पास खराब हो गयी तथा बस खराब होने पर हम बस से उतर गये तथा बस वाले ने कहा कि बस सही होने में समय लगेगा, तो हम दोनों पैदल–पैदल चलने लगे। इतने में ही दो वाहनों पर रूपेन्द्र, नरेन्द्र, नरसिंहपाल व नागेन्द्र ने पूछा कि कहा से आ रही हो तो मैंने कहा कि माता बैलोन के दर्शन करके आ रही हूॅ। रूपेन्द्र व नरेन्द्र, रजनी के यहॉ पर आते जाते थे, इस कारण इन दोनों को पहले से जानती हूॅ। रजनी व्यूटीपार्लर वाली है। जब उन्होंने कहा, जा रही हो तो हमने बताया कि अलीगढ़ जा रही हूॅ, तब इन चारों लोगों ने हम दोनों को मोटर साइकिल पर बैठा लिये और अलीगढ़ की तरफ चल दिये तथा कस्बा जवां में पहुॅचकर एक पान की दुकान पर मोटर साइकिल रोक दी। जब हमने पूछा कि क्यों मोटर साइकिल रोक दी तो कहा थोड़ी देर रूक जाओ, हम पान खा लें। उस समय अंधेरा सा हो गया था। हमने उनसे कहा कि अंधेरा हो रहा है जल्दी चलो, तो इन लोगों ने कहा कि अभी चलते हैं, उसके बाद ये लोग मोटर साइकिल पर बैठाकर अलीगढ़ की ओर कासिमपुर बम्बे की ओर मोटर साइकिल को मोड़ दिया तथा

जब हमने पूछा कि इधर क्यों मोड़ा है तब बताया कि यह रास्ता शॉर्ट है और अलीगढ़ जल्दी पहुॅच जायेंगे। उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलकर इन चारों लोगों ने मोटर साइकिल रोक ली, तब मैंने पूछा कि मोटर साइकिल क्यों रोक ली तो कनपटी पर तमंचा रखकर कहा कि चुपचाप रह, नहीं तो जान से मार दूॅगा। फिर ये चारों लोग मुझे खींचकर खेत में ले गये तथा रिंकी को भी खींच कर ले गये। हाथापाई में रिंकीदेवी इन लोगों से छूटकर भाग गयी तथा मैं गिर गई। मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई थी, इसी कारण मैं भाग नहीं सकी थी। इन सभी अभियुक्त रूपेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र व नरसिंहपाल ने बारी–बारी से मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं बलात्कार का मतलब जानती हूॅ। मैं शादीशुदा हूॅ। रिंकी इनके चंगुल से छूटकर भागी थी तो उसे दो राहगीर मिले, जिनसे सहायता मांगी थी। रिंकी उन दोनों लोगों के साथ मोटर साइकिल से घटनास्थल की ओर आ रही थी तो जलती मोटर साइकिल की लाईट को देखकर चारों मुल्जिमान मोटर साइकिल लेकर भागने लगे। मोटर साइकिल की लाईट में एक मोटर साइकिल का नम्बर रिंकी देवी ने पढ़ लिया था जो मोटर साइकिल से बचाने आये थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, वे जवॉ की तरफ के थे। उसके बाद हम दोनों इन दोनों लोगों के साथ थाना जवॉ शिकायत करने गये तो थाने के बाहर एक सिपाही मिला तो हमने घटना बताई तो यह कहा कि साहब नहीं है, कल आना। मैं थाना के अन्दर नहीं गयी थी। घर आकर घटना के बारे में मैंने अपने जीजा राजकुमार (मृतक) व अपने पति को बताई तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि तुम इन लोगों के साथ क्यों आई थी। उसके बाद कप्तान को एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया था जो अवर न्यायालय के प्रार्थना पत्र सं0–124/11 के साथ संलग्न है जिसपर 10 नम्बर पड़ा है तथा रजिस्ट्री की रसीद भी लगी है तथा उसपर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसपर प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। उसके बाद प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था जिसके आदशे पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर मेरा हस्ताक्षर है जो न्यायालय में दिया था जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। मेरा डॉक्टरी मुआइना हुआ था। मेरे बयान भी न्यायालय में हुए थे।'' धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान न होने के कारण शेष मुख्य परीक्षा दिनांक–23.07.2019 को अंकित की गयी जिसमें सीलबन्द लिफाफा धारा–164 दं0प्र0सं0 बयान पीड़िता श्रीमती सुधा पत्नी अतवीर न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान को देखकर उसपर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा गवाह को धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो कहा कि इस तरह का बयान न्यायालय में दिया था तथा बयान देने के बाद हस्ताक्षर किये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूॅ जिसपर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। सील लिफाफे में निकला प्रार्थना पत्र पर लगे

फोटो को देखकर अपने फोटो की पहचान की तथा उसपर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ।''

15— साक्षी पी0डब्लू0—1 पीड़िता सुधा से अभियुक्तगण नागेन्द्र, रूपेन्द्र एवं नरेन्द्र की ओर से प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने बयान किया है कि यह कहना सही है कि धारा—164 दं0प्र0सं0 के बयान में मुल्जिमानों के पिता का नाम नहीं है। मैंने पिछली दिनांक के मुख्य परीक्षा में पति का नाम अतवीर लिखाया है तथा अतवीर को ही आशीष कहते हैं। इससे पूर्व अतवीर के दो नाम मैं नहीं बताये थी क्योंकि मुझसे पूछा नहीं गया था। यह कहना गलत है कि मैं पहचान छिपाने के लिये अतवीर को ही आशीष बता रही हो और इसी कारण आधार कार्ड नहीं लाई हो। आधार कार्ड मैंने देखा है उसमें पति का नाम अतवीर लिखा है, आशीष नहीं लिखा है। पहले मेरा धारा—164 दं0प्र0सं0 का बयान हुआ था, फिर मुकदमा कायम हुआ था। यह कहना सही है कि मैंने धारा—164 दं0प्र0सं0 के बयान में अपनी उम्र 25 वर्ष बताई थी। यह बात भी सही है कि प्रार्थना पत्र धारा—156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श क—3 में उम्र 26 वर्ष लिखा है। यह कहना गलत है कि मैंने पहचान छिपाने हेतु धारा—156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में उम्र 26 वर्ष व धारा—164 दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में उम्र 25 वर्ष बताया हो तथा धारा—156(3) दं0प्र0सं0 के शपथपत्र में भी उम्र 26 वर्ष लिखाया हो। मेरी उम्र 25 वर्ष बताई गई सही है। मैं रूपेन्द्र व नरेन्द्र को पहले से जानती थी। मैं रूपेन्द्र व नरेन्द्र को देखकर पहचान लूंगी, किन्तु उनकी हुलिया नहीं बता सकती हूँ। आज अदालत में अभियुक्त रूपेन्द्र, नरेन्द्र व नागेन्द्र नहीं आये हैं तथा नरसिंहपाल पीछे कटघरे में खड़े हैं। रूपेन्द्र व नरेन्द्र को कब से जानती हूँ उसका तारीख याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रार्थना पत्र धारा—156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श क—3 में नागेन्द्र व नरसिंहपाल का नाम नहीं लिखा है क्योंकि मैं उनो नाम से नहीं जानती थी, केवल शक्ल से जानती थी। यह कहना सही है कि धारा—156(3) दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त नागेन्द्र व नरसिंहपाल का नाम व हुलिया नहीं लिखाया है। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। घटना के एक माह बाद मेरा बयान थाना जवॉ में लिया था। मैं थाना स्वयं ही बयान देने गयी थी। महीने भर के करीब ही थाना पर गयी थी। धारा—161 दं0प्र0सं0 का बयान किस तारीख को हुआ था मुझे याद नहीं है। यह बयान दिनांक—05.08.2015 को हुआ था या नहीं, यह भी मुझे याद नहीं है। डॉक्टरी मुआइना की तारीख याद नहीं है। बयान पहले हुआ था, डॉक्टरी मुआइना बाद में हुआ था। मैंने धारा—161दं0प्र0सं0 के बयान में रूपेन्द्र व नरेन्द्र का नाम लिया था तथा नागेन्द्र व नरसिंहपाल का अज्ञात में था। दरोगाजी को दिये बयान में मैंने अपना पता तगेवॉ थाना जैथरा, एटा बताया है। मैंने धारा—156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में गॉव तरगवॉ बताया था, यदि सरनवा लिखा है तो वह लिख गया हो। यह बात सही है कि मेरे धारा—164 दं0प्र0सं0 के बयान में

07 बजे लिखा है फिर अजखुद कहा कि सात बजे बस खराब होना लिखाया था। मैंने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में घटना का समय बताया था, यदि नहीं लिखा है तो मैं कुछ नहीं बता सकती हॅू। धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान दिखाने पर गवाह ने कहा कि मैं पढ़ी नहीं हॅू। मैंने अदालत में धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में रूपेन्द्र द्वारा पकड़ने व नरेन्द्र द्वारा मॅुह दबाने वाली बात बताई थी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में लिखाई थी या नहीं।

प्रश्न–धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के विषयवस्तु में लिखा है कि रूपेन्द्र व अज्ञात ने मुझे पकड़ लिया है एवं नरेन्द्र व एक अज्ञात ने रिंकी देवी को पकड़ लिया था?

उत्तर–यह कहना सही है।

मैंने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में यह नहीं बताया था कि मैं किस सवारी से बैलोन गयी थी क्योंकि मुझसे पूछा नहीं था। मैंने घर से बैलोन जाने का समय भी नहीं बताया था। बैलोन पहॅुचने का समय भी नहीं बताया था क्योंकि मुझसे पूछा नहीं था। बैलोन से अलीगढ़ के लिए चलने का समय नहीं बताया था। बैलोन से अलीगढ़ की दूरी मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं बैलोन दर्शन करने उस दिन नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं पुरूषोत्तम व महेशपाल के कहने पर यह झूंठा मुकदमा बनाया हो। मैं दिशायें नहीं जानती हॅू इसलिए मुझे यह नहीं पता कि मुझे जवॉ से किस दिशा में लेकर गये थे। मुल्जिमान मुझे जवॉ से कासिमपुर वाले बम्बे पर लेकर गये थे। मैं कासिमपुर बम्बे को जानती हॅू। बम्बे का पानी कासिमपुर की ओर बह रहा था। थाना जवॉ से घटनास्थल की निश्चित दूरी नहीं बता सकती हॅू। मैं यह नहीं बता सकती कि घटनास्थल से जवॉ पैदल कितनी देर में पहॅुच जायेगी। मैं आज भी घटनास्थल को बता सकती हॅू। घटनास्थल पर मैं दोबारा नहीं गयी थी। अजखुद कहा कि दरोगा के साथ एक बार गयी थी और दरोगाजी की गाड़ी से गयी थी। घटना के कितने दिन बाद गयी थी यह याद नहीं है। घटनास्थल के आसपास किसके खेत थे यह मुझे नहीं मालूम है। घटनास्थल किसके खेत की है मुझे नहीं मालूम है। धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान व धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के बयान में मेरा कोई पहचान चिन्ह नहीं है किन्तु धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान के प्रार्थना पत्र पर मेरा फोटो लगा है। मैं अलीगढ़ स्कार्पियो गाड़ी से घटनास्थल से नहीं आई थी, फिर खुद कहा कि जिन्होंने बचाया था जिनका नाम मालूम नहीं है, ने स्कार्पियो गाड़ी से अलीगढ़ भिजवाया था। मैं मुल्जिमानों के मोटर साइकिल का नम्बर नहीं जानती हॅू, रिंकी ने नम्बर पढ़ा था। जिन लोगों ने हमें बचाया था वे जवॉ के पास के थे किन्तु मैं उनका जिला नहीं बता सकती हॅू। यह कहना गलत है कि मैं दिनांक–27.11.2015 को रजनी नाम की महिला व कमलेश व सुधा के साथ जिला कारागार अलीगढ़ में अभियुक्त नरेन्द्र से मिलने गयी

हो। मैं आज तक जेल मिलने कभी नहीं गयी हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान की पहचान करने रिंकी देवी के साथ ग्राम जिरौली हीरासिंह थाना अकराबाद मुल्जिमान की पहचान करने गयी हो और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया हो। यह भी कहना गलत है कि उसके बाद इस बात का फैसला हो गया हो। यह भी कहना गलत है कि हमारे फोटो अखबार में छपे हों। धारा–156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के गवाहों के नाम व पिता का नाम रिंकी देवी ने बताया था। मैं दरोगाजी के साथ घटना स्थल पर एक ही बार गयी थी तथा जिस दिन बयान लिये थे उसी दिन घटनास्थल पर ले गये थे। दरोगाजी को मैंने अपने पति का नाम आशीष बताया है क्योंकि मैं उन्हें आशीष कहती हूँ। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर अपने पति का नाम छिपा रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं झूंठा बयान दे रही हूँ। मुझे यह याद नहीं है कि धारा–156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के बाद एस.एस. पी. को प्रार्थना पत्र दिया था या पहले दिया था। यह कहना गलत है कि पैसे के लालच में मैं झूंठी गवाही दे रही हूँ।

16– साक्षी पी0डब्लू0–1 पीड़िता सुधा से अभियुक्त नरसिंहपाल की ओर से भी प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने बयान दिया है कि मैं विवाहित हूँ तथा मेरे दो बच्चे हैं जिसमें लड़की 10 वर्ष व लड़का 08 वर्ष का है। मैं मूल रूप से गॉव तरगवां थाना जैथरा जनपद एटा की रहने वाली हूँ। मैं अलीगढ़ में घटना से दो वर्ष पूर्व से रह रही थी। रिंकी मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी। उस समय भी मेरी मकान मालिक थी। मेरे पति सटरिंग का काम बाहर करते थे तथा रहते अलीगढ़ में थे। मेरे पति भी वाणी (राजस्थान) में काम करते थे तथा वहीं पर रहते थे। उस समय पति के साथ मैं नहीं गयी थी। बैलोन में किस तारीख को रिंकी के साथ गयी थी, ध्यान नहीं है। अलीगढ़ से बैलोन प्राइवेट वाहन से गयी थी। प्राइवेट गाड़ी वैन थी। अलीगढ़ से बैलोन के लिये गाड़ी कितने बजे चली थी मुझे नहीं पता है। गाड़ी बैलोन के लिये एटा चुंगी से पकड़े थे। मुझे ध्यान नहीं है कि बैलोन कितने बजे पहुॅचे थे। बैलोन में माता के दर्शन करने में कितना समय लगा था मैं ठीक–ठीक नहीं बता सकती हूँ। बैलोन से अलीगढ़ कितने बजे चली थी मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं जिस वैन से गयी थी उससे अलीगढ़ वापस नहीं आ रही थी। वापस बस से आ रहे थे। बैलोन जाने का भाड़ा कितना लगा था मैं नहीं बता सकती क्योंकि भाड़ा मेरे मकान मालिक ने दिया था। बस लगभग पूरी भरी थी। बस जवॉ में खराब हुई थी। जिस बस से आई थी उसका नम्बर याद नहीं है। एक मोटर साइकिल पर नागेन्द्र व नरसिंहपाल तथा दूसरी मोटर साइकिल पर नरेन्द्र व रूपेन्द्र बैठे थे। मोटर साइकिलों का नम्बर पता नहीं है। मैं रूपेन्द्र की मोटर साइकिल व रिंकी–नागेन्द्र की मोटर साइकिल पर बैठी थी। मैं जवॉ से घटनास्थल की दूरी नहीं बता सकती हूँ। बुरा काम मेरे साथ खेत में किया

गया था। खेत में फसल नहीं था, घास जमीं थी। घटना के समय मैं सूट पहनी हुई थी। सूट का मतलब सलवार सूट है। सलवार में इलास्टिक पड़ा हुआ था। मेरे साथ बुरा काम सबसे पहले नागेन्द्र ने किया था। सलवार की इलास्टिक नगेन्द्र ने खींचा था। घटना घटित होने में कितना समय लगा, मुझे नहीं पता है। अभियुक्त नरसिंहपाल ने भी मेरे साथ बुरा काम किया था। रिंकी–नगेन्द्र व नरसिंहपाल से छूटकर भाग गई थी। मैं थाने रिपोर्ट करने अन्दर नहीं गई थी, बाहर ही थी। बुरा काम करते समय मैंने विरोध किया था। विरोध करने पर मेरे शरीर में कोई जाहिरा चोट नहीं आई थी, फिर कहा कि मेरे पैर में जो रॉड पड़ी थी उसमें जख्म आ गया था। घटना के समय जो कपड़े पहनी थी वह दरोगाजी को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि रूपयों के लेने के चक्कर में यह झूंठा मुकदमा कायम कराया हो। मैं नेमपाल को नहीं जानती हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं नेमपाल को अच्छी तरह से जानती हूॅ तथा उनसे रूपये लेकर यह झूंठा मुकदमा मुल्जिमानों के विरूद्ध कायम करया है।

17– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 पीड़िता पुत्री रिषीपाल पत्नी वन्टी सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि, ''मैं सुधा देवी को पहचानती हूॅ जो मेरे यहॉ किराये पर रहती थी। घटना से करीब डेढ़ साल पहले से रह रही थी। घटना की तारीख 10.06.2015 है मुझे याद है। मैं व सुधा देवी दर्शन करने सुवह करीब 8:00 बजे बैलोन देवी मंदिर गये थे। बैलोन से हम बस से वापस आ रहे थे। हमारी बस जवां नहर पर खराब हो गई थी। सभी सवारी बस से उतर गई थीं, मैं व सुधा देवी भी बस से उतर कर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय दो अलग अलग मोटर साइकिल पर नरेन्द्र व रूपेन्द्र आये थे, उनके साथ एक–एक आदमी और था और वे वहॉ खड़े होने का कारण पूछने लगे तो हमने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम दूसरे वाहन का इंतजार करने लगे तो वे बोले कि हम भी अलीगढ़ जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम्हें अलीगढ़ छोड़ देंगे। रूपेन्द्र व नरेन्द्र को हम पहले से जानती थी इसलिए विश्वास करके हम बैठ गये थे। दोनों लोग कस्बा जवां में एक पान की दुकान पर रूके और कुछ सामान खरीदा। मैं व सुधा उतर कर अलग खड़े हो गये थे, तभी वे चारों लोग आपस में फुस–फुसाकर बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हम लोग पुनः उनकी मोटर साइकिल पर बैठ गये और अलीगढ़ की तरफ चल दिये। जवां से उन्होंने कासिमपुर बम्बा की तरफ मोटर साइकिल मोड़ दी। हम लोगों ने पूछा कि कहॉ जा रहे हो तो बोले कि इधर से जल्दी पहॅुच जायेंगे। थोड़ा आगे चलकर पाईप वाले पुल के पास पहॅुच कर उक्त चारों लोगों ने मोटर साइकिल रोक दी तथा तमंचा निकाल कर मुझे व सुधा देवी को पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगे, बोले कि दोनों को छोड़ेगे नहीं, मैं किसी तरह उनको धक्का

देकर चंगुल से छूटकर वहॉ से भाग गयी और थोड़ा आगे चलकर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गई। सुधा देवी के पैर में चोट थी इसलिए वह भाग नहीं सकती थी और मेरे सामने इन चारों लोगों ने सुधा देवी को दबोच लिया और जब मैं झाड़ी में बैठी थी तो थोड़ी देर बाद मोटर साइकिल पर दो लोग आते दिखाई दिये तो मैंने उन दोनों को सहयोग के लिए आवाज दी और उन्हें घटना बताई। वे लोग मुझे लेकर घटनास्थल पर आये। हम लोगों को देखकर वे लोग अपनी अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गये। मोटर साइकिल की रोशनी में मैंने एक मोटर साइकिल का नम्बर नोट कर लिया था जिसका नं0–यू0पी081ए.ए.–0836 था। जब मैं वहॉ पहॅुची थी तो सुधा देवी के शरीर पर कपड़ा नहीं थे और उसके साथ बुरा काम हो चुका था। सुधा देवी बुरी तरह रो रही व कराह रही थी। जो लोग मेरे साथ मौके पर गये थे उनमें एक का नाम जयवीर सिंह व दूसरे का नाम आल्हा सिंह था। फिर इसके बाद हम चारों लोग उन्हीं की मोटर साइकिल पर बैठकर थाना पहॅुचे, थाने पर साहब नहीं मिले तो हम वापस आ गये। न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके पश्चात् पुलिस दोनों को साथ लेकर घटनास्थल पर गयी थी और हमें मेडीकल जांच के लिए ले गई थी। न्यायालय में ले जाकर दोनों के बयान कराये गये थे। पुलिस ने भी मेरे बयान लिये थे तो मैंने यही बात बताई थी।'' मेडीकल रिपोर्ट गवाह को दिखाई तो गवाह ने कहा कि इसपर मेरा ही निशानी अंगूठा है। बयान धारा–164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसपर पीड़िता का नाम रिंकी देवी अपराध संख्या–142/15 अ0 धारा–376,354,506 भा0दं0सं0 थाना जवां अंकित है, खोलकर गवाह को दिखाया व पढ़ाया गया तो गवाह ने कहा कि इसपर मेरा फोटो है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं और बताया कि यह बयान मेरा ही है जो मैंने न्यायालय में दिया था इसपर प्रदर्श क–5 अंकित किया गया। ''

18– साक्षी पी0डब्लू0–2 रिंकी देवी से अभियुक्तगण नरसिंहपाल सिंह की ओर से प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी द्वारा बयान किया गया है कि मैं विवाहित हॅू, मेरे दो बच्चे हैं। एक बच्चा 21 साल व एक 18 साल का है। मैं मुख्य रूप से सिकन्दरपुर (मायका) की रहने वाली हॅू। सिकन्दरपुर कोड़ियागंज के पास पड़ता है। अब मैं सरोज नगर अलीगढ़ में रह रही हॅू। अलीगढ में 25–30 साल से रह रही हॅू। मैं ससुराल के मकान में रह रही हॅू। सुधा देवी मेरी किरायेदार है। आज से 6–7 साल पहले मेरे मकान में किराये पर रही थी। मेरे पति सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। सुधा देवी के पति बढ़ई का काम करते हैं, वह दिल्ली काम करते हैं। सुधा देवी मेरे मकान में एक बेटे के साथ रहती थी। सुधा देवी के पति कभी महिना में कभी पन्द्रह दिन में हमारे यहॉ आते जाते थे। मैं दिनांक–10.06.2015 को बैलोन गई थी। घर से आठ–साढ़े आठ बजे चले थे। बस

रामघाट रोड से पकड़ी थी। रामघाट रोड पर करीब 9:00 बजे पहुॅच गये थे। बस प्राइवेट थी, बस का नम्बर नहीं पता। प्राइवेट बस में कंडक्टर ने टिकट दिया होगा। यह मुझे ध्यान नहीं है कि बस कितने बजे चली थी। बैलोन करीब 11:00 बजे पहुॅच गये थे। बैलोन बस स्टैण्ड से माता का मंदिर कितनी दूर पड़ता है, मुझे नही पता। बस स्टैण्ड बैलोन से माता मंदिर पैदल गये थे। मुझे ध्यान नहीं है कि मंदिर कितने बजे पहुॅच गये थे। माता के दर्शन करने में दो–तीन घण्टे लग गये थे। बैलोन से अलीगढ़ के लिए चार–साढ़े चार बजे चले थे। हम लोग बैलोन से अलीगढ़ के लिए सरकारी बस से लौटे थे। हमने अलीगढ़ का टिकट खरीदा था। वह टिकट के बारे में हमने दरोगाजी को बताई थी। बैलोन से अलीगढ़ का क्या किराया था मुझे नहीं पता। जिस बस में मैं बैठकर अलीगढ़ आ रही थी, उस बस में कितनी सवारी थी मुझे नहीं पता। बस जवां नहर पर खराब हो गई थी। दो मोटर साइकिल थी जिनपर बैठाकर हमें ले जाया गया था। दोनों मोटर साइकिल पर चार लोग दो–दो लोग थे। एक मोटर साइकिल पर रूपेन्द्र व दूसरी पर नरेन्द्र थे, बाकी को हम जानते नहीं। इन दोनों मोटर साइकिल का नम्बर मुझे नही पता। कौन–कौन सी मोटर साइकिलें थीं, यह भी नही पता।मोटर साइकिलों का रंग भी नहीं पता। रूपेन्द्र की मोटर साइकिल पर सुधा व नरेन्द्र की मोटर साइकिल पर मैं बैठी थी। जवां नहर पुल से घटनास्थल कितनी दूर पड़ता है मुझे नहीं पता। नहर पुल से घटनास्थल तक मुल्जिमान सीधे रास्ता से लेकर गये थे, रोड से घटनास्थल कितनी दूर पड़ता है मुझे नही पता। घटनास्थल से थाना की दूरी भी नहीं पता। घटना बम्बा की पटरी पर हुई थी। मुल्जिमान ने मेरे साथ बुरा काम नहीं किया था। मेरे साथ केवल हाथापाई हुई थी। सुधा के साथ कितने लोगों ने बुरा काम किया था, सुधा को पता होगी। जब घटना हुई, घटना घटित होने से पहले ही मैं भाग गयी थी। बम्बा की पटरी कच्ची थी। पटरी पर हर समय लोग चलते रहते हैं। मैं नहीं बता सकती कि सुधा देवी के साथ कितने लोगों ने बुरा काम किया था। मैं भागकर रोड की तरफ गई थी। थाने हमें दो लोग जिन्होंने अपने नाम जयवीर व आल्हा बताये थे, ले गये थे। मुझे नहीं पता कि जयवीर व आल्हा कौन लोग थे, कहॉ के रहने वाले थे। मैं मोबाइल रखती हूॅ, उस समय नहीं रखती थी। थाने अकेली नहीं गई, जयवीर व आल्हा के साथ थाने गई थी। रोड से थाना कितनी दूर पड़ता है व थाने कितने बजे पहुॅच गई थी, नहीं पता। थाने हमें कोई नही मिला था। थाने में सिपाही थे, दरोगाजी नहीं थे। थाने पर मौजूद सिपाहियों से मैंने घटना के बारे में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया इसकी वजह नहीं बता सकती, सिपाहियों ने कहा था कि दरोगाजी नहीं हैं। मैं नेमपाल सिंह जिरौली हीरासिंह वालों को नहीं जानती। यह कहना गलत है कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना ना हुई हो। मुझे नहीं पता कि नरेन्द्र व रूपेन्द्र पैसे वाले हैं और इनके भट्ठा

वगैरह चलते हैं या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं सैक्स रैकेट चलाती हूॅ और पैसे वाले लोगों को झूंठे केस में फंसाती हूॅ।

साक्षी पी0डब्लू0–2 रिंकी देवी से अभियुक्तगण नरेन्द्र, नागेन्द्र व रूपेन्द्र की ओर से भी प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने बयान किया है कि मुझे नहीं मालूम कि थाना जवां घटना स्थल से कितनी दूर है और ना ही दिशा के बारे में पता। यह कहना गलत है कि मेरी ससुराल डिगसी गांव में हो। मेरी जानकारी में नहीं है कि घटना का दिन महीना का कौन सा दिन था। यह कहना सही है कि मैं किसी भी मुल्जिम के पिता का नाम नहीं जानती। मुझे जानकारी नहीं है कि गवाह जयवीर व आल्हा किस थाना, किस गांव के रहने वाले हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि घटना कितनी देर हुई। सुधा किस थाना व गांव की रहने वाली थी नहीं पता। हम करीब चार–साढ़े चार बजे बैलोन से चले थे। यह कहना सही है कि घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिलों का नम्बर मुझे नहीं पता। मैंने कल दिनांक–15.11.2022 तक मुल्जिमान को एक ही बार देखा है। घटना के दिनांक को मेरी उम्र 33–34 वर्ष होगी। कल मैंने 39 वर्ष लिखायी थी। मैं नहीं बता सकती कि सड़क का रूख पूरब पश्चिम है या उत्तर दक्षिण है। घटनास्थल पर मैं दोबारा एक बार दरोगाजी के साथ गई थी, शाम के करीब 3–4 बजे गये थे। मैंने दरोगाजी को यह नही बताया कि ध्रुव पुत्र इन्दल का खेत घटनास्थल से किस दिशा में है और ध्रुव पुत्र इन्दल किस गांव का है मैं नहीं जानती, ना ही मैंने दरोगाजी को बताया। मुझे विक्रम के खेत के बारे में भी नहीं पता। विक्रम के पिता का भी मैं नाम नहीं जानती। विक्रम किस गांव का रहने वाला है, मैं नहीं जानती, ना ही मैंने दरोगाजी को बताया। यह सही है कि मैंने दरोगाजी को अपने छिपने की जगह नहीं बताई थी और वह मैंने नक्शा नजरी में भी अंकित नहीं कराया। यह कहना गलत है कि मेरे व सुधा के साथ कोई घटना ना हुई हो।

19– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 डॉ0 वान्या मिश्रा** परीक्षित हुई हैं जिनके द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि, ''मैं दिनांक–05.08.2015 को मोहनलाल गौतम अस्पताल में बतौर मेडीकल ऑफीसर तैनात थी। उस दिन मेरे पास महिला आरक्षी 112 रजनी पीड़िता श्रीमती सुधा देवी को आंतरिक व बाह्य परीक्षण हेतु शाम 4:00 बजे लेकर आई थी। पहचान के तौर पर पीड़िता सुधा के गर्दन पर काले तिल का निशान था। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि उसके पास एक साढ़े चार साल का बेटा है जो सामान्य डिलीवरी से हुआ था, माहवारी का आज पहला दिन है। घटना के बारे में पूछने पर बताया कि दि0–10.06.2015 रात 8:00 बजे जब मैं मंदिर जा रही थी, चार लोगों ने उसको लिफ्ट दी, फिर एक–एक करके बलात्कार किया।

बाह्य परीक्षण के दौरान कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण में उसने अपनी जॉच कराने से मना कर दिया क्योंकि पीड़िता सुधा ने बताया कि आज उसकी माहवारी का पहला दिन है और इस समय उसको माहवारी हो रही है, इस कारण मैं अपनी अंदरूनी जॉच नहीं कराना चाहती। पीड़िता का परीक्षण मैंने 4:00 बजे से 4:30 बजे तक किया था। पीड़िता का मैंने नाखून नमूना व स्मीयर लिया था। परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इसपर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट वरवक्त तैयार किया था। पीड़िता की अंदरूनी जॉच ना कराने पर मैंने उसकी सहमति पर उसका निशानी अंगूठा लगवाया था।''

20– साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 वान्या मिश्रा से अभियुक्त नरसिंहपाल सिंह द्वारा प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी के द्वारा कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया जाये तो उसके शरीर पर चोट आना सम्भव है, आंतरिक व बाहरी चोट आना सम्भव है। अगर पीड़िता को आंतरिक व बाहरी चोट नहीं है तो बलात्कार होना सम्भव नहीं है।

इस साक्षी से शेष अभियुक्तगण की ओर से भी प्रति परीक्षा की गयी जिसमें साक्षी पी0डब्लू0–3 ने कथन किया है कि ये मेडिको लीगल केस था। चिट्ठी मजरूबी पत्रावली में है या नहीं, मैं नहीं बता सकती। परन्तु चिट्ठी मजरूबी मुझे दिखाई गई थी। चिट्ठी मजरूबी नहीं है। स्वयं कहा कि महिला आरक्षी लेकर आई थी, मैंने देखी थी। उसपर मुकदमा अपराध संख्या, धारा लिखा था। यह कहना सही है कि नाखून सैम्पल व स्मीयर की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। पीड़िता ने जन्मतिथि नहीं बताई थी, उसने अपनी उम्र अंदाज से 25 वर्ष बतायी थी। मैं नहीं बता सकती कि पीड़िता ने मंदिर जाने वाली बात झूंठ बताई या सच बताई। पीड़िता के बाहरी परीक्षण में कोई चोट का निशान नहीं मिला और आंतरिक परीक्षण से पीड़िता ने मना कर दिया था।

21– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 एच.सी. 165 बिन्टू कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि, ''मैं दिनांक–28.07.2015 को थाना जवां पर बतौर सी.सी. तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा वादिया सुधा देवी पत्नी आशीष निवासी सरोज नगर अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय आदेश दिनांक–16.07.2015 के अनुसार मुकदमा अपराध सं0–142/2015 धारा–376,354,504 भा0दं0सं0 बनाम रूपेन्द्र आदि के विरूद्ध चिक किता की थी जो कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर जितेन्द्र के द्वारा किता की गई थी। इसका खुलासा मेरे द्वारा जी.डी.–26 समय 14:00 बजे दिनांक–28.07.2015 को किया गया था। चिक पर प्रदर्श क–7 तथा जी.डी. पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया।''

22– साक्षी पी0डब्लू0–4 एच.सी. 165 बिन्टू कुमार से सभी अभियुक्तगण की ओर से प्रति

परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय का आदेश दिनांक–16.07.2015 का है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। मैंने मुकदमा दि0–28.07.2015 को पंजीकृत किया था। दि0–16.07.2015 से 28.07.2015 के बीच के समय की मैं वजह नहीं बता सकता। मेरे पास तो दि0–28.07.2015 को प्राप्त हुआ था। दि0–28.07.2015 को वादिया थाने नहीं आई थी। मेरे पास डाक पैड से प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश आया। मैंने वादिया को नहीं देखा। वादिया को नकल प्रोसेस के अनुसार भेजी थी। वादिया को किसी माध्यम एच.जी. या आरक्षी से भी भिजवा देते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं है कि किस माध्यम से वादिनी को नकल प्रेषित की थी। जी.डी. में मेरे द्वारा कम्प्यूटर से यह लिखा है कि चूंकि घटना पुरानी व संदिग्ध प्रतीत होती है, इसलिए एस. आर. प्रेषित की जाएगी। मैंने घटना पुरानी होने के कारण लिखा है।

23– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक** परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में बयान किया गया है कि, ''दिनांक–16.06.2016 को मैं थानाध्यक्ष थाना जवॉ, अलीगढ़ के पद पर तैनात था। उसी दिन मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–142/15 धारा–376डी, 354, 506 भा0दं0सं0 बनाम रूपेन्द्र आदि चार नफर की विवेचना ग्रहण की गई थी। मेरे से पूर्व, पूर्व विवेचक द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मेरे द्वारा उसी दिन एस.सी.डी. किता की जिसमें विवेचना ग्रहण की गई। दिनांक–25.06.2016 को एस.सी.डी.–8 किता की जिसमें पूर्व किता सी.डी. का अवलोकन किया व अभियुक्त रूपेन्द्र का इस वाद में वारण्ट बनवाकर रिमाण्ड लिया गया। दिनांक–30.06.2016 को एस.सी.डी.–9 किता की जिसमें अभियुक्त नागेन्द्र का वारण्ट बनवाकर रिमाण्ड लिया गया। दिनांक–12.07.2016 को न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्त रूपेन्द्र व नागेन्द्र के बयान अंकित कर एस.सी.डी.–10 किता की। दिनांक–20.07.2016 को एस.सी.डी.–11 किता की जिसमें अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिया गया। दिनांक–26.07.2016 को एस.सी.डी.–12 किता की जिसमें महिला आरक्षी रजनी निर्मल का बयान अंकित कर अभियुक्त रूपेन्द्र पुत्र लाखन, नागेन्द्र पुत्र लाखन निवासी जिरौली हीरासिंह,थाना अकराबाद, अलीगढ़, नरसिंहपाल पुत्र श्यामलाल निवासी आमा मधुपुर थाना अकराबाद के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र सं0–41ए/2016 धारा–376डी, 354 व 504 भा0दं0सं0 न्यायालय प्रेषित किया था। आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं शिनाख्त करता हूॅ, इसपर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया।''

24– साक्षी पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक से अभियुक्त नरसिंहपाल सिंह की ओर से प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने बयान किया है कि इस केस की विवेचना मुझे दिनांक–16.06.2016 को मिली थी। मुझसे पूर्व इस केस में एस.आई. असलम, एस.आई. रविन्द्र बहादुर व

छोटेलाल विवेचक रहे हैं। मैंने आरोप पत्र देने से पूर्व विवेचकों द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन कर लिया था। मेरे द्वारा अभियुक्त रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त आरोप पत्र मैंने अपने पूर्व विवेचकों के द्वारा संग्रहीत किये गये बयानों के आधार पर दिया है। मैंने पूर्व विवेचकों के अलावा अन्य बयान नहीं लिये गये।यह कहना गलत है कि मैंने पूर्व विवेचकों के बयानों को जो सी.डी. में अंकित किये हैं, का सही अवलोकन कर सही तथ्य ना पेश करते हुए गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

साक्षी पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक से शेष अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नरेन्द्र व नागेन्द्र की ओर से भी प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि थाना जवां पर मैं दिनांक–16.06.2016 से अप्रेल–2017 तक रहा था। इस मुकदमा की एफ.आई.आर. थाना पर दिनांक–28.07.2015 को दर्ज की गयी थी। मुकदमा दर्ज के समय मैं थाना जवॉ पर तैनात नहीं था। मेरे द्वारा दिनांक–16.06.2016 से 26.07.2016 तक विवेचना की गई। मेरी विवेचना के दौरान मेरी पीड़ित व किसी गवाह से मुलाकात नहीं हुई। मैं कभी घटनास्थल पर नहीं गया। यह कहना गलत है कि मैंने इस केस में कोई विवेचना ना की हो और पैसा लेकर झूंठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो। यह कहना गलत है कि इसी कारण से मैं गवाहान, पीड़िता से ना मिला हूॅ और घटनास्थल का निरीक्षण ना किया हो।

25– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 निरीक्षक छोटेलाल** भी परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि, ''दिनांक–29.12.2015 को जब मैं थानाध्यक्ष के पद पर जवां में था, मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना पूर्व विवेचक रविन्द्र बहादुर के स्थानांतरण के उपरान्त ग्रहण की थी। दिनांक–27.01.2016 को सी.डी. नं0–14 किता की गयी थी जिसमें जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र वीरीसिंह, निवासी जिरौली हीरासिंह, थाना अकराबाद का बयान जिला कारागार जाकर अंकित किये थे। दिनांक–17.02.2016 को सी.डी.–15 किता की थी जिसमें पूर्व किता सी.डी. का अवलोकन किता किया गया। सी.डी.–16 दि0–18.02.2016 किता किया जिसमें बयान एफ.आई.आर., गवाह जयवीर सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह व आलाह सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह अंकित किये गये। सी.डी. पर्चा नं0–15 को दिनांक–17.02.2016 को किता किया गया जिसमें धारा–164 दं0प्र0सं0 के अवलोकन के आधार पर धारा–376डी की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण नागेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह व नरसिंहपाल पुत्र श्यामलाल के नाम प्रकाश में आये तथा सी.डी. सं0–16 जो दि0–18.02.2016 में किता की गयी थी इसमें गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह निवासी जिरौली हीरासिंह थाना अकराबाद के

विरूद्ध आरोप पत्र सं0—41/2016 अ0 धारा—376डी, 354 व 504 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया जो मेरे हस्ताक्षर में है। पत्रावली पर है जिसपर प्रदर्श क—10 अंकित किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंह पाल के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। दिनांक—25.02. 2016 को एस.सी.डी.—1 किता की गयी। दिनांक—12.03.2016 को एस.सी.डी.—2 किता की गयी जिसमें वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दविश देने का उल्लेख किया गया। एस.सी.डी.—3 दिनांक—09.04.2016 को किता की गयी जिसमें वांछित अभियुक्तगण के मिलने के स्थानों पर दविश दी गयी। अभियुक्तगणों के पूर्व में प्राप्त एन.बी.डब्लू. तामील कर संलग्न सी.डी. किये गये। एस.सी.डी. —4 व 5 क्रमशः दिनांक—09.05.2016 व 17.05.2016 को किता की गयी जिसमें वांछित अभियुक्तगण के मिलने के स्थानों पर दविश दी गयी तथा माननीय न्यायालय से प्राप्त रोवकार आत्मसमर्पण अभियुक्त नरसिंह पाल प्राप्त हुआ जिसे संलग्न सी.डी. किया गया। एस.सी.डी.—6 व 6ए दिनांक— 31.05.2016 को किता की गयी जिसमें क्रमशः दविश वांछित अभियुकतगण व न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर बयान अभियुक्त नरसिंह पाल सिंह जिला कारागार जाकर अंकित किये गये। इसके बाद मेरा स्थानांतरण थाना जवां से हो जाने के कारण विवेचना प्रचलित छोड़ी गयी।''

26— साक्षी पी0डब्लू0—6 निरीक्षक छोटेलाल से अभियुक्त नरसिंह पाल, रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरेन्द्र की ओर से प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने बयान किया है कि मुकदमा मेरी उपस्थिति में दर्ज नहीं हुआ था। मैं थाना जवां में दि0—25.12.2015 से जून—2016 तक रहा था। इस केस की विवेचना दिनांक—29.12.2015 में ग्रहण की थी। मुझसे पहले इस केस में विवेचक मौ0 असलम, रामदरश यादव और रविन्द्र बहादुर सिंह रहे थे। मेरे द्वारा पूर्व विवेचकों के साक्ष्य संकलितों का अवलोकन किया गया था। मैंने इस केस की विवेचना के दौरान अभियुक्त नरेन्द्र, एफ.आई.आर. के गवाह जयवीर, आल्हा सिंह और अभियुक्त नरसिंहपाल के बयान लिये थे। जयवीर सिंह व आल्हा सिंह ने अपने बयानों में मोटर साइकिल का नम्बर बताया था, नम्बर मुझे याद नहीं है। गवाहों का पीड़िताओं से कोई रिश्ते की बात मुझे नहीं बताई थी। मेरे द्वारा इस केस की पीड़िता सुधा व रिन्की से कोई पूछताछ नहीं की गयी क्योंकि धारा—161 व 164 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही पूर्व विवेचकों द्वारा करायी जा चुकी है। जयवीर सिंह व आल्हा सिंह द्वारा पीड़िताओं को थाने ले जाने की बात बताई थी। किस वाहन से थाने लेकर गये थे यह बात नहीं बतायी थी। गवाहों ने मुझे अपने गॉव से हरदुआगंज थाने की बात बताई थी। गवाह के गॉव का नाम याद नहीं है, थाना पहासू जिला बुलन्दशहर के रहने वाले हैं। मैं जानकारी नहीं की थी। गवाहों के गॉव से घटनास्थल की कितनी दूरी थी, मैंने घटनास्थल नहीं देखा है क्योंकि मैंने घटनास्थल का निरीक्षण नही किया इसलिए मैं

नहीं बता सकता कि घटनास्थल से हरदुआगंज की कितनी दूरी है। मैंने गवाहों से उनके गॉव से चलने का समय नहीं पूछा था। मुझे नही पता कि गवाह कितने बजे घटनास्थल पर पहुॅचे थे। गवाह एक ही मोटर साइकिल पर थे या अलग–अलग मोटर साइकिल पर थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। गवाह एक ही गॉव के थे। मैंने गवाहों से यह नहीं पूछा कि वो मैन रोड छोड़कर बम्बे की पटरी पर क्यों गये थे। मैंने गवाहों से नहीं पूछा कि घटनास्थल मेन रोड से कितना अन्दर है। मेरी विवेचना के दौरान मेरी पीड़िता सुधा व रिन्की से मुलाकात नहीं हुई। पीड़िताओं से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्व विवेचक द्वारा की जा चुकी है। यह कहना गलत है कि मैंने निष्पक्ष विवेचना न की हो और थाने में बैठकर अपनी मर्जी से बयान लिखे हों। मैंने अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र पूर्व विवेचक के द्वारा व अपने द्वारा संकलित की गयी साक्ष्यों के आधार पर दिया था। मैंने अपनी विवेचना के दौरान जयवीर व आल्हा के बयान अंकित किये थे, अन्य गवाहों के बयान अंकित नहीं किये। अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र देते समय विवेचना प्रचलित छोड़ी थी।

27– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम** परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा में बयान किया गया है कि, ''दिनांक–28.07.2015 को थाना जवां पर बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उसी दिन मुकदमा अपराध सं0–142/2015 धारा–376, 354 व 506 भा0दं0सं0 बनाम रूपेन्द्र आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। उसी दिन सी.डी. का पर्चा नं0–1 नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक बिन्टू कुमार अंकित किये। सी.डी. के पर्चा नं0–2 दिनांक–29.07.2015 जिसमें बयान वादिया सुधा देवी तथा बयान पीड़िता/चश्मदीद गवाह श्रीमती रिंकी देवी एवं निरीक्षण घटनास्थल की कार्यवाही की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0–5अ/1 नक्शा नजरी को देखकर बताया कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूॅ जिसपर प्रदर्श क–11 अंकित किया गया। सी.डी. के पर्चा नं0–3 दिनांक–05.08.2015 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें पीड़िता श्रीमती सुधा देवी को डॉक्टरी परीक्षण हेतु दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, वहॉ नहीं हुआ फिर उसे मोहनलाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहॉ उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। सी.डी. के पर्चा नं0–4 दिनांक–11.08. 2015 को पीड़िता के बयान धारा–164 दं0प्र0सं0 का अवलोकन किया व सी.डी. में इन्द्राज किया। सी.डी. के पर्चा नं0–5 दिनांक–13.08.2015 किता किया गया जिसमें चिकित्सीय रिपोर्ट पीड़िता रिंकी देवी डॉक्टरी रिपोर्ट को संलग्न किया गया। सी.डी. के पर्चा नं0–6 दिनांक–14.08.2015 को किता किया गया। पीड़िता रिंकी देवी के बयान धारा–164 दं0प्र0सं0 का अवलोकन किया गया। संलग्न सी. डी. किया गया। सी.डी. के पर्चा नं0–7 दिनांक–17.08.2015 को अभियुक्तगणों के यहॉ दविश दी

गयी तो घर पर ताला लगा मिला। इसके बाद मेरे स्थानांतरण हो गया और विवेचना अन्य विवेचक के सुपुर्द हो गई।''

28— साक्षी पी0डब्लू0—7 उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम से सभी अभियुक्तगण की ओर से प्रति परीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी के द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा माननीय न्यायालय के आदेश से मेरी मौजूदगी में लिखा गया था। विवेचना मुझे उसी दिन 28.07.2015 को सौंप दी गयी थी। थाना जवॉ में मेरी तैनाती कब से कब तक रही है, यह मुझे याद नहीं परन्तु लगभग आठ माह का समय रहा होगा। इस केस की घटना दिनांक—10.06.2015 से लेकर मुकदमा कायमी के दिनांक—28.07.2015 के बिना इस केस की पीड़िता सुधा देवी व रिंकी रिपोर्ट करने के लिए थाने आई हैं या नहीं मुझे यह ज्ञात नहीं है। इस केस की पीड़िता सुधा देवी व रिंकी रिपोर्ट करने के लिए थाने आई हैं या नहीं, मुझे यह ज्ञात नहीं है। इस केस की पीड़िता सुधा देवी व रिंकी दिनांक—29.07.2015 को थाने पर मेरी मुलाकात हुई थी। दोनों पीड़िताओं का बयान थाने पर ही लिखा गया था। मेरे द्वारा पीड़िता सुधा देवी से उसके मूलरूप से कहॉ की रहने वाली है, के बारे में पूछा गया था जो उसके द्वारा बताया भी गया था एवं सी.डी. पर अंकित किया था। मेरे द्वारा यह पूछा गया कि पीड़िता कितने सालों से अलीगढ़ में रह रही है, पूछने पर पीड़िता द्वारा बताया गया वह पिछले डेढ़ सालों से अलीगढ़ में रह रही है। यह कहना सही है कि पीड़िता सीधे तौर पर थाने रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आयी थी। मुझे इस सम्बन्ध में याद नहीं है कि पीड़िताओं द्वारा थाने के सी.यू.जी. नम्बर पर कोई कॉल आई है। मेरे द्वारा यह जानकारी हांसिल नहीं की गई थी कि पीड़ित महिलाऐं अपने पतियों को छोड़कर क्यों रह रहीं हैं। उनके द्वारा यह बताया गया था कि पति के काम एवं बच्चियों की पढ़ाई की वजह से मैं अलीगढ़ में रह रही हूँ। पीड़िता द्वारा बताया गया कि वे रोडवेज बस द्वारा बैलोन माता मंदिर गई थी एवं वापस प्राइवेट बस से आ रही थी। उनके द्वारा बताया गया कि 10 जून, 2015 को सुवह 8:00 बजे रोडवेज बस द्वारा गयी थी। 4:00 बजे शाम को बैलोन मंदिर से वापस होना बताया गया। यदि कोई पीड़ित गम्भीर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर आता है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाती है, यह बात सही है। जवां झाल पर काफी खोके व दुकानें हैं। मेरे द्वारा उस बस की कोई जानकारी नहीं की गयी जिस बस से पीड़िता बैलोन आने पर जवां नहर पर पंक्चर हुआ था। नक्शा नजरी दोनों पीड़िताओं की निशानदेही पर तैयार किया गया था। घटनास्थल के आसपास के खेतों के मालिक की जानकारी वहॉ के स्थानीय लोगों द्वारा दी गयी थी। जवां से घटनास्थल की दूरी लगभग 4—5 किमी0 की थी। पीड़िताओं के शरीर पर जाहिरा चोट मुझे दिखाई नहीं दी थी। उनका मेडीकल परीक्षण कराया गया था। मैंने इस

बात की कोई जानकारी हांसिल नहीं की, कि महिलाऐं धंधेखोर, देह व्यापार का और सैक्स रैकेट का धन्धा करती हों। घटनास्थल पर मुझे पीड़िताओं के हाथ की टूटी हुई चूड़ियॉ नहीं मिली थी और न ही कोई ऐसा चिन्ह मिला। इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नही है कि घटना के वक्त पीड़िताओं ने जो कपड़े पहने हुए थे, कब्जे पुलिस लिये गये हों। यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण की सारी विवेचना मैंने थाने पर ही की हो और यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा थाने पर बैठकर ही कार्यवाही की हो।

29— अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक—10.06.2015 को वादिया/पीड़िता पी0डब्लू0—1 अपनी मकान मालकिन रिंकी देवी पी0डब्लू0—2 के साथ बैलोन माता के दर्शन करने के लिए गयी थी। वहॉ से लौटते वक्त लगभग शाम के 07:30 बजे जवॉ के पास नहर के पुल पर गाड़ी खराब हो गयी थी। गाड़ी खराब होने की वजह से ये लोग सड़क पर उतरकर किसी वाहन का इंतजार करने लगीं, तभी पीछे की तरफ से दो मोटर साइकिलों पर रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, एक अज्ञात के साथ एवं नरेन्द्र सिंह पुत्र वीरी सिंह भी एक अज्ञात के साथ आ गये एवं इनसे वहॉ खड़े होने का कारण पूछा तो सारी बात बतायी गयी जिसपर इन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। पूर्व से परिचित होने की वजह से एवं समय अधिक होने की वजह से वादिया व उसकी साथी महिला इनके साथ बैठ गये थे। अभियुक्तगण जवां में एक पान की दुकान पर रूके एवं कुछ सामान इन्होंने खरीदा। उस समय वादिया वगैरः साइड में थे, वहॉ अभियुक्तगण आपस में कुछ बातें की तो पूर्व से परिचित होने की वजह से कोई सन्देह नहीं किया। ये लोग पुनः दोनों महिलाओं को बिठाकर चल दिये। जवां पार करते ही अभियुक्तगण अपनी मोटर साइकिलें बम्बा से कासिमपुर की ओर मोड़ दी और कहा कि इधर से जल्दी पहॅुच जायेंगे एवं कुछ दूर चलकर एकान्त में अभियुक्तगण ने मोटर साइकिलें रोक दीं एवं वादिया व रिंकी देवी कुछ समझते, तब तक रूपेन्द्र एवं एक अज्ञात ने वादिया/पीड़िता पी0डब्लू0—1 को पकड़ लिया और तमंचा तानते हुए कहा कि साली आवाज निकाली तो तुझे जान से मार देंगे एवं नरेन्द्र एवं एक अज्ञात ने रिंकी देवी को पकड़ लिया एवं दोनों के साथ जबर्दस्ती करने लगे। रिंकी देवी किसी तरह से इनके चंगुल से निकलकर भाग गयी तो चारों अभियुक्तों ने वादिया/पीड़िता सुधा को दबोच लिया एवं बारी—बारी से बलात्कार करने लगे। लगभग आधे घण्टे बाद रिंकी देवी को दो राहगीर जयवीर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह, आला सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी कसूमी थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर मिले तो उन्हें सारी घटना इन लोगों को बतायी, तो ये लोग रिंकी देवी के साथ घटना स्थल पर आये। इन लोगों के आने के बाद ये चारों

लोग अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गये। भागते समय एक मोटर साइकिल का नम्बर पढ़ लिया जो यू0पी081ए.ए.–0836 था। इसके बाद वादिया व रिंकी देवी थाने पहुॅचे और सारी घटना के सम्बन्ध में जाकर बताया तो थाने में कह दिया कि साहब नहीं हैं घर जाओ। इसके बाद वादिया/पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र बजरिये रजिस्टर्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ0 धारा–156(3)दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिसपर पारित आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष जवां, अलीगढ़ द्वारा अभियोग पंजीकृत कर डॉक्टरी मुआइना कराया तथा बयान धारा–164 दं0प्र0सं0 के अंकित कराये गये। वादिया/पीड़िता पी0डब्लू0–1 व चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा उपर्युक्त घटना का समर्थन अपने बयानों में किया गया है तथा शेष औपचारिक गवाहों द्वारा अपने द्वारा की गयी कार्यवाही का वर्णन बयानों में करते हुए अपने द्वारा निष्पादित अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है तथा अभियोजन पक्ष अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सिद्धदोष किया जाये।

30– बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन कथानक मिथ्या एवं मनगढ़त हैं, आरोप पत्र में उन्हें गॉव की पार्टीबन्दी व पुरानी रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में गवाह जयवीर सिंह व आला सिंह व उनके पिता का नाम व निवास स्थान दोनों गवाहों द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साज करके लिखा गया है। दोनों महिलाऐं सैक्स रैकेट चलाती है तथा इज्जतदार व भले लोगों से पैसा ऐंठने की गरज से झूंठे मुकदमें में फंसवा देती है तथा इसके एवज में मोटी रकम लेती हैं। इस प्रकार उक्त पूरी घटना का रचयिता कोई और ही व्यक्ति है। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी वादिया पी0डब्लू0–1 व चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–2 की निशानदेही पर नहीं बनायी गयी है, बल्कि थाने पर बैठकर बनायी गयी है क्योंकि नक्शा नजरी बनाते समय उक्त दोनों महिलाऐं उपस्थित नहीं थी। मेडीकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया तथा आंतरिम परीक्षण हेतु स्वयं पीड़िता ने इंकार किया है। इस प्रकार डॉक्टर का यह बयान कि पीड़िता को आंतरिक व बाह्य चोट न होने बलात्कार होना सम्भव नहीं है जिससे स्पष्ट है कि उक्त घटना में पीड़िता के साथ कोई भी सामूहिक बलात्कार नही किया गया। विवेचक द्वारा भी विवेचना गलत रूप से की गयी है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि नेमपाल, महेशपाल आदि से मुल्जिमान लाखन सिंह व उसके तीनों बेटों रूपेन्द्र, नगेन्द्र व लोकेन्द्र से जमींन की रंजिश को लेकर पहले से काफी बड़ी दुश्मनी चली आ रही थी, इसी कारण नेमपाल आदि ने लाख न सिंह व उसके

बेटों के खिलाफ कई झूंठे मुकदमें लोगों को पैसे लेकर लगवये तथा पुलिस को अनुचित लाभ प्राप्त कराकर उनसे आरोप पत्र भी लगवा दिये। ये सभी मुकदमें सैक्स रैकेट चलाने वाली लालची महिलाओं से भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से व अन्य गरीब लोगों से पैसे का लालच देकर लगवाये गये हैं। उक्त घटना में सामूहिक बलात्कार जैसी घटना होने पर भी सीधे थाने पर एफ.आई. आर. नही लिखायी गयी है, यहॉ तक कि घटना की जानकारी पुलिस तक को नहीं दी गयी, मात्र एक प्रार्थना पत्र एस.एस.पी. को भेजकर धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को मात्र घटना का प्रयोग करते हुए झूंठी रिपोर्ट धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के तहत थाना जवां पर करा दी गयी है जिसमें पुलिस द्वारा मुल्जिमानों को एफ.आई.आर. दर्ज होने के काफी समय बाद भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया तथा बाद में नेमपाल सिंह की हत्या हो जाने के बाद उनकी हत्या का सारा इल्जाम झूंठी रिपोर्ट के माध्यम से लाखन सिंह व उसके तीनों बेटों पर लगाकर उनके खिलाफ झूंठी एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया और जब लाखन सिंह का पूरा परिवार जेल में था तो बाद में पुलिस से साज करके उक्त वाद में भी महेशपाल सिंह द्वारा झूंठा आरोप पत्र प्रार्थीगण/आरोपी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में पेश करा दिया गया है। अभियुक्तगण पूरी तरह से निर्दोष हैं तथा महज रंजिश के कारण झूंठा फंसा दिया गया है क्योंकि नागेन्द्र की घटना के समय उम्र महत 22–23 साल थी, रूपेन्द्र अविवाहित था, नरेन्द्र की उम्र 28 वर्ष थी तथा नृसिंहपाल जो कि नरेन्द्र का रिश्तेदार है, को भी उक्त घटना में झूंठा संलिप्त कर दिया है क्योंकि उक्त लोग काफी शिक्षित सभ्य पारिवारिक लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया जाना किसी भी सूरत में सम्भव ही नहीं है। अभियोजन पक्ष बिना युक्तियुक्त सन्देह से परे अपना केस सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

31– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

32– इस अभियोग के प्रकरण को निर्णीत करने के लिए निम्नलिखित निर्णायक बिन्दु बनाये जाते हैं:–

1–क्या दिनांक–10.06.2015 को शाम के लगभग 8:00 बजे स्थान जवॉ पार करके बम्बे से कासिमपुर जाने वाले रास्ते में एक एकान्त स्थान पर अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र, नरसिंहपाल

व नरेन्द्र ने पीड़िता सुधा देवी व रिंकी देवी के साथ जबर्दस्ती की और रिंकी देवी के भाग जाने पर चारों अभियुक्तगण ने बार–बारी से सुधादेवी के साथ बलात्कार किया?

33– पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिनी/पीड़िता सुधा देवी ने अपने धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बयान दिया है कि ''साहब मैं मूल रूप से ग्राम तरगवॉ थाना जैथरा एटा की रहने वाली हूॅ तथा पति के काम व बच्चों की पढ़ाई की वजह से करीब डेढ़ साल से श्रीमती रिंकी देवी पत्नी बन्टी सिंह जादौन निवासी सरोज नगर थाना क्वार्सी, अलीगढ़ के यहॉ किराये पर रहती हूॅ। दिनांक–10.06.2015 को मैं अपनी मकान मालिकिन श्रीमती रिंकी देवी के साथ अलीगढ़ से सुवह करीब 8:00 बजे रोडवेज बस से बेलोन माता के दर्शन करने के लिये गयी थी। करीब दोपहर 11:30 बजे के करीब बेलोन पहॅुच गये थे। माता के दर्शन करने के बाद शाम करीब 4:00बजे मैं तथा रिंकी देवी प्राइवेट बस से वापस अलीगढ़ आ रहे थे तो जवॉ नहर पर आकर बस खराब हो गयी। मैं तथा रिंकी देवी जवॉ नहर पर बस से उतर कर किसी वाहन के आने का इन्तजार कर रहे थे। शाम के करीब 7:30 बजे थे, तभी वहॉ पर मोटर साइकिल से नरेन्द्र सिंह पुत्र वीरी सिंह जिनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था तथा दूसरी मोटर साइकिल पर रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह जिनके साथ भी एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था। उक्त दोनों लोग जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद अलीगढ़ के हैं। हम दोनों को खड़ा देखकर उक्त चारों लोग रूक गये तथा हमसे खड़े होने का कारण पूछने लगे तो हमने गाड़ी शराब होने की बात बता दी तो उक्त चारों लोग कहने लगे कि हम लोग भी अलीगढ़ जा रहे हैं, आप लोगों को छोड़ देंगे। नरेन्द्र व रूपेन्द्र उपरोक्त हमारे पूर्व से परिचित हैं, इसलिए हम दोनों लोग उनकी मोटर साइकिल पर अलीगढ़ जाने के लिये बैठ गये। जवॉ में आकर उक्त चारों लोग एक पान की दुकान पर रूके, हम दोनों लोग अलग खड़े हो गये थे। उक्त चारों लोग आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग मोटर साइकिल से पुनः चल दिये। उक्त दोनों लोगों ने अपनी–अपनी मोटर साइकिल को जवॉ से कासिमपुर बम्बे की तरफ मोड़ दी। हमने पूछा कि इधर कहॉ जा रहे हो तो कहने लगे कि इधर से जल्दी पहॅुच जायेगै। बम्बे की पटरी पर थोड़ा सा आगे चलकर पाईप वाले पुल पर आकर उक्त लोगों ने मोटर साइकिल रोक दी। हमने रूकने के बारे में पूछा तो रूपेन्द्र उपरोक्त ने तमंचा निकाल लिया तथा कहने लगा कि चुपचाप खड़ी रही, तभी उक्त चारों लोगों ने मुझे व रिंकी देवी को पकड़ लिया। रिंकी देवी के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे, तभी रिंकी देवी किसी तरह उन लोगों के चंगुल से छूटकर भाग गयी और अंधेरा का फायदा उठाकर कहीं छिप गयी। उक्त चारों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पैर में चोट होने के कारण भाग नहीं सकी और चारों उक्त लोगों रूपेन्द्र, नरेन्द्र व दो

अज्ञात व्यक्तियों ने बारी–बारी से मेरे साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया। कुछ देर बाद रिंकी देवी दो लोगों के साथ मोटर साइकिल से मौके पर वापस आ गयी तथा उक्त लोगों को आता देखकर चारों लोग मुझे छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उसके बाद मैं तथा रिंकी देवी उक्त दोनों लोगों के साथ मोटर साइकिल पर बैठकर जवॉ थाने रिपोर्ट लिखाने आयी थी, परन्तु थाने पर हमसे कह दिया था कि साहब नहीं है, फिर हम लोग वापस अपने घर अलीगढ़ चले गये थे। अब हमने न्यायालय से आदेश कराकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।''

34– वादिनी/पीड़िता सुधा देवी ने अपने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बयान दिया है कि, ''दिनांक–10.06.2015 को मैं अपनी मकान मालकिन रिंकी के साथ बेलोन माता के दर्शन करने गयी थी। लौटते समय शाम को लगभग 7:00 बजे बस खराब हो गयी तो सब लोग उतरे। हम दोनों भी पैदल आ रहे थे, सवारी नहीं मिल रही थी, तभी उधर से दो मोटर साइकिल पर रूपेन्द्र व नरेन्द्र व उनके साथ दो लोग नरेन्द्र व नरसिंहपाल आ रहे थे। मैं, रूपेन्द्र को जानती थी। पहले से नरेन्द्र को भी जानती। नागेन्द्र व नरसिंह पाल को दि0–05.08.2015 को चक्की पर देखकर पहचाना, तब नाम पता किया तो पता चला। रूपेन्द्र व नरेन्द्र ने पूछा तो हमने कहा सवारी नहीं मिल रही तो बोले बैठो, हम भी अलीगढ़ जा रहे हैं। हम दोनों बैठ गये एक–एक मोटर साइकिल पर, फिर वो लोग जवॉ नहर के आगे कासिमपुर वाले रास्ते पर मोड़ लिया। हमने पूछा तो बोले इधर से नजदीक पड़ेगा। फिर आगे लोहे के पुल के पास हमें उतारा, मैंने बोला रूके क्यों, चलो तो तो। रूपेन्द्र ने मुझे पकड़ा। नरेन्द्र ने मेरा मुॅह दबाया। नागेन्द्र व नरसिंह पाल ने मेरा पैर पकड़ लिया। रिंकी के साथ भी छेड़खानी करने लगे तो उन्होंने किसी तरह छुड़ाया अपने को और भाग गयी। मेरे पैर में चोट थी, पट्टी हो रही थी तो मैं भाग नहीं पायी। मेरे साथ नागेन्द्र, नरेन्द्र, रूपेन्द्र व नरसिंह पाल चारों ने बारी–बारी से बलात्कार किया। मकान मालकिन ने किसी से मदद मॉगी, दो लोगों जिनका नाम जयवीर और आला था, को लेकर मोटर साइकिल से आये। मोटर साइकिल की आवाज सुनकर ये लोग भागे तो मोटर साइकिल की लाईट में मकान मालकिन ने एक मोटर साइकिल का नम्बर देख लिया था। फिर वो दोनों आदमी मुझे जवॉ थाना ले गये तो वहॉ बताया बड़े साहब हैं नहीं, जब आयें तो आना तो उन दोनों ने हमें एक स्कार्पियो गाड़ी से अलीगढ़ भिजवाया। मैंने प्रति को बोला तो वो मुझे डॉटने लगे, फिर मेरे जीजा जी ने समझाया कि ऐसे चप मत बैठ, रिपोर्ट करो तो हमने कोर्ट के जरिये रिपोर्ट करवाई। रूपेन्द्र, नरेन्द्र व नागेन्द्र सिंह हीरासिंह जिरौली के हैं। नरसिंहपाल अमामाधवपुर के हैं।''

35– वादिनी/पीड़िता सुधा देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर पी0डब्लू0–1 के रूप में

अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि, ''हाजिर अदालत अभियुक्त रूपेन्द्र, नरेन्द्र, नरसिंहपाल व नागेन्द्र को मैं जानती हूॅ। घटना अब से लगभग दो वर्ष पूर्व मैं माता बैलोन के दर्शन करने अपने मकान मालकिन रिंकी देवी के साथ गयी थी। दर्शन करके मैं सांय को बस से वापस आ रही थी तो बस जवां नहर के पास खराब हो गयी तथा बस खराब होने पर हम बस से उतर गये तथा बस वाले ने कहा कि बस सही होने में समय लगेगा, तो हम दोनों पैदल–पैदल चलने लगे। इतने में ही दो वाहनों पर रूपेन्द्र, नरेन्द्र, नरसिंहपाल व नागेन्द्र ने पूछा कि कहा से आ रही हो तो मैंने कहा कि माता बैलोन के दर्शन करके आ रही हूॅ। रूपेन्द्र व नरेन्द्र, रजनी के यहॉ पर आते जाते थे, इस कारण इन दोनों को पहले से जानती हूॅ। रजनी ब्यूटीपार्लर वाली है। जब उन्होंने कहा, जा रही हो तो हमने बताया कि अलीगढ़ जा रही हूॅ, तब इन चारों लोगों ने हम दोनों को मोटर साइकिल पर बैठा लिये और अलीगढ़ की तरफ चल दिये तथा कस्बा जवां में पहुॅचकर एक पान की दुकान पर मोटर साइकिल रोक दी। जब हमने पूछा कि क्यों मोटर साइकिल रोक दी तो कहा थोड़ी देर रूक जाओ, हम पान खा लें। उस समय अंधेरा सा हो गया था। हमने उनसे कहा कि अंधेरा हो रहा है जल्दी चलो, तो इन लोगों ने कहा कि अभी चलते हैं, उसके बाद ये लोग मोटर साइकिल पर बैठाकर अलीगढ़ की ओर कासिमपुर बम्बे की ओर मोटर साइकिल को मोड़ दिया तथा जब हमने पूछा कि इधर क्यों मोड़ा है तब बताया कि यह रास्ता शॉर्ट है और अलीगढ़ जल्दी पहॅुच जायेंगे। उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलकर इन चारों लोगों ने मोटर साइकिल रोक ली, तब मैंने पूछा कि मोटर साइकिल क्यों रोक ली तो कनपटी पर तमंचा रखकर कहा कि चुपचाप रह, नहीं तो जान से मार दॅूगा। फिर ये चारों लोग मुझे खींचकर खेत में ले गये तथा रिंकी को भी खींच कर ले गये। हाथापाई में रिंकीदेवी इन लोगों से छूटकर भाग गयी तथा मैं गिर गई। मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई थी, इसी कारण मैं भाग नहीं सकी थी। इन सभी अभियुक्त रूपेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र व नरसिंहपाल ने बारी–बारी से मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं बलात्कार का मतलब जानती हॅू। मैं शादीशुदा हॅू। रिंकी इनके चंगुल से छूटकर भागी थी तो उसे दो राहगीर मिले, जिनसे सहायता मांगी थी। रिंकी उन दोनों लोगों के साथ मोटर साइकिल से घटनास्थल की ओर आ रही थी तो जलती मोटर साइकिल की लाईट को देखकर चारों मुल्जिमान मोटर साइकिल लेकर भागने लगे। मोटर साइकिल की लाईट में एक मोटर साइकिल का नम्बर रिंकी देवी ने पढ़ लिया था जो मोटर साइकिल से बचाने आये थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, वे जवॉ की तरफ के थे। उसके बाद हम दोनों इन दोनों लोगों के साथ थाना जवॉ शिकायत करने गये तो थाने के बाहर एक सिपाही मिला तो हमने घटना बताई तो यह कहा कि साहब नहीं है, कल आना। मैं थाना के अन्दर नहीं गयी थी। घर

आकर घटना के बारे में मैंने अपने जीजा राजकुमार (मृतक) व अपने पति को बताई तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि तुम इन लोगों के साथ क्यों आई थी। उसके बाद कप्तान को एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया था जो अवर न्यायालय के प्रार्थना पत्र सं0–124/11 के साथ संलग्न है जिसपर 10 नम्बर पड़ा है तथा रजिस्ट्री की रसीद भी लगी है तथा उसपर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसपर प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। उसके बाद प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था जिसके आदशे पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर मेरा हस्ताक्षर है जो न्यायालय में दिया था जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। मेरा डॉक्टरी मुआइना हुआ था। मेरे बयान भी न्यायालय में हुए थे।'' धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान न होने के कारण शेष मुख्य परीक्षा दिनांक–23.07.2019 को अंकित की गयी जिसमें सीलबन्द लिफाफा धारा–164 दं0प्र0सं0 बयान पीड़िता श्रीमती सुधा पत्नी अतवीर न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान को देखकर उसपर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा गवाह को धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो कहा कि इस तरह का बयान न्यायालय में दिया था तथा बयान देने के बाद हस्ताक्षर किये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूॅ जिसपर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। सील लिफाफे में निकला प्रार्थना पत्र पर लगे फोटो को देखकर अपने फोटो की पहचान की तथा उसपर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूॅ।''

36– वादिनी/पीड़िता सुधा देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में, पंजीकृत डाक रसीद को प्रदर्श क–2 के रूप में, धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में और धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। साक्षी से की गयी प्रति परीक्षा का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पूर्व प्रति परीक्षा के अवलोकन से यह विदित होता है कि पीड़िता ने कोई विरोधाभासी कथन अपनी प्रति परीक्षा में नहीं किया है और अपनी प्रति परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बारी–बारी से बलात्कार करने का कथन किया है।

37– पी0डब्लू0–2 के रूप में रिंकी देवी को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि, ''मैं सुधा देवी को पहचानती हूॅ जो मेरे यहॉ किराये पर रहती थी। घटना से करीब डेढ़ साल पहले से रह रही थी। घटना की तारीख 10.06.2015 है मुझे याद है। मैं व सुधा देवी दर्शन करने सुवह करीब 8:00 बजे बैलोन देवी मंदिर गये थे। बैलोन से हम बस से वापस आ रहे थे। हमारी बस जवां नहर पर खराब हो गई थी। सभी सवारी बस से उतर गई थीं, मैं व सुधा देवी भी बस से उतर कर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय दो अलग अलग

मोटर साइकिल पर नरेन्द्र व रूपेन्द्र आये थे, उनके साथ एक–एक आदमी और था और वे वहॉ खड़े होने का कारण पूछने लगे तो हमने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम दूसरे वाहन का इंतजार करने लगे तो वे बोले कि हम भी अलीगढ़ जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम्हें अलीगढ़ छोड़ देंगे। रूपेन्द्र व नरेन्द्र को हम पहले से जानती थी इसलिए विश्वास करके हम बैठ गये थे। दोनों लोग कस्बा जवां में एक पान की दुकान पर रूके और कुछ सामान खरीदा। मैं व सुधा उतर कर अलग खड़े हो गये थे, तभी वे चारों लोग आपस में फुस–फुसाकर बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हम लोग पुनः उनकी मोटर साइकिल पर बैठ गये और अलीगढ़ की तरफ चल दिये। जवां से उन्होंने कासिमपुर बम्बा की तरफ मोटर साइकिल मोड़ दी। हम लोगों ने पूछा कि कहॉ जा रहे हो तो बोले कि इधर से जल्दी पहुॅच जायेंगे। थोड़ा आगे चलकर पाईप वाले पुल के पास पहुॅच कर उक्त चारों लोगों ने मोटर साइकिल रोक दी तथा तमंचा निकाल कर मुझे व सुधा देवी को पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगे, बोले कि दोनों को छोड़ेगे नहीं, मैं किसी तरह उनको धक्का देकर चंगुल से छूटकर वहॉ से भाग गयी और थोड़ा आगे चलकर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गई। सुधा देवी के पैर में चोट थी इसलिए वह भाग नहीं सकती थी और मेरे सामने इन चारों लोगों ने सुधा देवी को दबोच लिया और जब मैं झाड़ी में बैठी थी तो थोड़ी देर बाद मोटर साइकिल पर दो लोग आते दिखाई दिये तो मैंने उन दोनों को सहयोग के लिए आवाज दी और उन्हें घटना बताई। वे लोग मुझे लेकर घटनास्थल पर आये। हम लोगों को देखकर वे लोग अपनी अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गये। मोटर साइकिल की रोशनी में मैंने एक मोटर साइकिल का नम्बर नोट कर लिया था जिसका नं0–यू0पी081ए.ए.–0836 था। जब मैं वहॉ पहुॅची थी तो सुधा देवी के शरीर पर कपड़ा नहीं थे और उसके साथ बुरा काम हो चुका था। सुधा देवी बुरी तरह रो रही व कराह रही थी। जो लोग मेरे साथ मौके पर गये थे उनमें एक का नाम जयवीर सिंह व दूसरे का नाम आल्हा सिंह था। फिर इसके बाद हम चारों लोग उन्हीं की मोटर साइकिल पर बैठकर थाना पहुॅचे, थाने पर साहब नहीं मिले तो हम वापस आ गये। न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके पश्चात् पुलिस दोनों को साथ लेकर घटनास्थल पर गयी थी और हमें मेडीकल जांच के लिए ले गई थी। न्यायालय में ले जाकर दोनों के बयान कराये गये थे। पुलिस ने भी मेरे बयान लिये थे तो मैंने यही बात बताई थी।'' मेडीकल रिपोर्ट गवाह को दिखाई तो गवाह ने कहा कि इसपर मेरा ही निशानी अंगूठा है। बयान धारा–164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसपर पीड़िता का नाम रिंकी देवी अपराध संख्या–142/15 अ0 धारा–376,354,506 भा0दं0सं0 थाना जवां अंकित है, खोलकर गवाह को दिखाया व पढ़ाया गया तो गवाह ने कहा कि

इस पर मेरा फोटो है तथा मेरे हस्ताक्षर हैं और बताया कि यह बयान मेरा ही है जो मैंने न्यायालय में दिया था इसपर प्रदर्श क–5 अंकित किया गया। '' इस साक्षी से की गयी विस्तृत प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा वादिनी सुधा देवी के बयानों का पूर्णतः समर्थन किया है।

38– पत्रावली पर पी0डब्लू0–3 के रूप में डॉ0 वान्या मिश्रा को परीक्षित कराया गय है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि, ''मैं दिनांक–05.08.2015 को मोहनलाल गौतम अस्पताल में बतौर मेडीकल ऑफीसर तैनात थी। उस दिन मेरे पास महिला आरक्षी 112 रजनी पीड़िता श्रीमती सुधा देवी को आंतरिक व बाह्य परीक्षण हेतु शाम 4:00 बजे लेकर आई थी। पहचान के तौर पर पीड़िता सुधा के गर्दन पर काले तिल का निशान था। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि उसके पास एक साढ़े चार साल का बेटा है जो सामान्य डिलीवरी से हुआ था, माहवारी का आज पहला दिन है। घटना के बारे में पूछने पर बताया कि दि0–10.06.2015 रात 8:00 बजे जब मैं मंदिर जा रही थी, चार लोगों ने उसको लिफ्ट दी, फिर एक–एक करके बलात्कार किया।

बाह्य परीक्षण के दौरान कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण में उसने अपनी जॉच कराने से मना कर दिया क्योंकि पीड़िता सुधा ने बताया कि आज उसकी माहवारी का पहला दिन है और इस समय उसको माहवारी हो रही है, इस कारण मैं अपनी अंदरूनी जॉच नहीं कराना चाहती। पीड़िता का परीक्षण मैंने 4:00 बजे से 4:30 बजे तक किया था। पीड़िता का मैंने नाखून नमूना व स्मीयर लिया था। परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इसपर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट वरवक्त तैयार किया था। पीड़िता की अंदरूनी जॉच ना कराने पर मैंने उसकी सहमति पर उसका निशानी अंगूठा लगवाया था।''

39– पी0डब्लू0–4 के रूप में एच.सी. 165 बिन्टू कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने द्वारा लिखी गयी चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. को साबित किया है।

40– पत्रावली पर पी0डब्लू0–7 के रूप में उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम को परीक्षित कराया गया है जो दिनांक–28.07.2015 को थाना जवॉ जिला अलीगढ़ पर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे, उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या–142/2015 दर्ज किया गया था और विवेचना उनको प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया है जिसे इन्होंने प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है। तत्पश्चात् इनके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और पीड़िता के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान आदि कराकर उनका अवलोकन किया गया।

41– पत्रावली पर पी0डब्लू0–6 के रूप में निरीक्षक छोटेलाल को परीक्षित कराया गया है।

इनके द्वारा भी इस मामले की विवेचना ग्रहण की गयी थी। इनके द्वारा धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयानों के अवलोकन के बाद धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी और इनके द्वारा गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह, निवासी जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–41/2016 अन्तर्गत धारा–376डी, 354 व 504 भारतीय दण्ड सहिता का प्रेषित किया था जिसे उन्होंने प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है। अन्य अभियुक्त रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंह पाल के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति रिंकी देवी को लेकर सुधा देवी के पास पहुॅचे थे, उन व्यक्तियों में जयवीर सिंह व आला सिंह का बयान उन्होंने लिया था और जयवीर और आला सिंह द्वारा पीड़िताओं को थाने ले जाने वाली बात बतायी गयी थी।

42– पत्रावली पर पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक को परीक्षित कराया गया है जो दिनांक–16.06.2016 को थाना जवॉ पर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे और इसी दिन इन्होंने मामले की विवेचना ग्रहण की थी और मामले में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह व नागेन्द्र पुत्र लाखन सिंह निवासीगण जिरौली हीरा सिंह, थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ एवं नरसिंह पाल पुत्र श्यामलाल निवासी आमा मधापुर, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–41ए/2016 धारा–376डी, 354 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित किया था। उक्त आरोप पत्र को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया गया है।

43– पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मौहम्मद असलम, पी0डब्लू0–6 निरीक्षक छोटेलाल व पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक से की गयी प्रति परीक्षा में कोई अन्य विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं हुआ है और ना ही आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

44– पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि तथ्य के दोनों गवाह श्रीमती सुधा वादिनी/पीड़िता तथा रिंकी देवी चश्मदीद साक्षी/पीड़िता ने वादिनी के साक्ष्य का समर्थन किया है और यह बताया है कि वह अभियुक्तगण के चंगुल से छूटकर भाग गयी थी और दो व्यक्ति जयवीर व आल्हा उनको मिले थे जिनके साथ वह घटनास्थल पर गयी तथा उसने देखा कि सुधा देवी के साथ बलात्कार हो चुका था और सुधा देवी के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और वह कराह रही थी। पी0डब्लू0–3 डॉ0 वान्या मिश्रा के अनुसार पीड़िता सुधा देवी ने डॉक्टर को यह बताया था कि दिनांक–10.06.2015 को रात के 8:00 बजे चार लोगां ने उसको लिफ्ट दी, फिर एक–एक करके बलात्कार किया। बाह्य परीक्षण के दौरान चोटों का कोई निशान नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि सुधा देवी ने बताया कि आज उसकी

माहवारी का पहला दिन है, इस कारण से वह अपनी अंदरूनी जॉच नहीं कराना चाहती है।

45– अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य पर बहुत बल दिया गया है कि बलात्कार की पुष्टि मेडीकल रिपोर्ट से नही होती है क्योंकि सुधा देवी के न तो बाह्य चोट है और जानबूझकर उसने अपना आंतरिक परीक्षण नहीं कराया क्योंकि उसके कोई अंदरूनी चोट नहीं थी क्योंकि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि बलात्कार के अपराध में यदि चिकित्सीय परीक्षण आख्या बलात्कार का समर्थन नहीं करती है, तब भी पीड़िता के एकमात्र बयान के आधार पर अभियुक्तगण को सजा की जा सकती है जिसके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या अथवा चिकित्सीय परीक्षण आख्या का कोई महत्व नहीं है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **सीआर. एल. ए. 148/25 श्रीधर लक्ष्मण रंगारी बनाम दिल्ली राज्य (गवर्नमेंट ऑफ एन.सी.टी.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामले में चोटों के न होने से या विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या ना होने से यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता के साथ अपराध नहीं हुआ है। यदि पीड़िता ने धारा–161 दं0प्र0सं0 और धारा–164 दं0प्र0सं0 तथा न्यायालय में अभियोजन साक्षी के रूप में एक समान बयान दिया है और किसी चश्मदीद साक्षी ने पी0डब्लू0–2 के रूप में उसके बयानों का समर्थन किया है और दोनों से की गयी प्रति परीक्षा में कोई भारी विरोधाभास नहीं है तो इतना साक्ष्य सजा करने के लिये पर्याप्त है।

46– उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था इस मामले में पूर्णतः लागू होती है क्योंकि पीड़िता ने पी0डब्ली़0–1 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है और धारा–161 दं0प्र0सं0 व धारा–164 दं0प्र0सं0 तथा न्यायालय में अभियोजन साक्षी के रूप में बिल्कुल एक समान बयान दिया है और उसके बयानों का समर्थन पी0डब्लू0–2 रिंकी देवी ने किया है और दोनों ही साक्षीगण से की गयी प्रति परीक्षा में कोई विरोधाभासी कथन प्रकट नहीं हुआ है।

47– इस सम्बन्ध में एक अन्य विधि व्यवस्था **विजय उर्फ चायनी बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2010) 8 एस.सी.सी.–191** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:–

> The Statement of the Prosecutrix if found to be worthy of crendence and reliable, requires no corroboration. The Court may Convict the accused on the sole Testimony of the Prosecutrix.

48– पी0डब्लू0–6 निरीक्षक छोटेलाल ने विवेचना के उपरान्त यह पाया कि अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह ने यह अपराध कारित किया है इसलिए उन्होंने अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है और पी0डब्लू0–5 निरीक्षक नीरज मलिक ने विवेचना के

उपरान्त यह पाया कि अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र एवं नरसिंह पाल ने उक्त अपराध कारित किया है, इसलिए उन्होंने उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है।

49— यह यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह के विरूद्ध विवेचक द्वारा धारा—376डी, 354 व 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया है परन्तु गाली गलौज दिये जाने के सम्बन्ध में ना तो वादिया की प्रथम सूचना रिपोर्ट/तहरीर में कहीं कोई उल्लेख है और ना ही वादिया/पीड़िता सुधा देवी तथा चश्मदीद साक्षी रिंकी देवी ने गाली गलौज दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन अपने बयानों में किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नरेन्द्र के विरूद्ध धारा—504 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित नहीं होता है।

49— उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य की उपरोक्त मीमांशा तथा उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त निर्णायक बिन्दु इस प्रकार विनिश्चित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

50— अतः अभियुक्तगण रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, नागेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, नरसिंह पाल पुत्र श्यामलाल को आरोप अन्तर्गत धारा—376डी, 354 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह आरोप अन्तर्गत धारा—376डी, 354 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह को धारा—504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र एवं नरेन्द्र न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं तथा आज कारागार से न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त नरसिंह पाल जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्र एवं स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु अभियुक्त नरसिंहपाल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

<u>दिनांकः—10.06.2026</u>

(**विपिन कुमार—।।**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0—01, अलीगढ़।
ID :- UP 6070

<u>दिनांकः–10.06.2026</u>

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पुनः प्रस्तुत हुई। सिद्धदोष बन्दी अपराधी रूपेन्द्र, नागेन्द्र एवं नरेन्द्र जेरे हिरासत जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं तथा नरसिंहपाल न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दांडिक'' पुकार पर उपस्थित हैं।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ''दांडिक'' द्वारा तर्क दिया गया कि सिद्धदोष अपराधीगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल ने घटना दिनांक को वादिया/पीड़िता सुधा देवी एवं रिंकी देवी के साथ छेड़खानी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादिया/पीड़िता सुधा देवी के सामूहिक बलात्कार किया है तथा अभियुक्त नरेन्द्र ने भी वादिया/पीड़िता सुधा देवी एवं रिंकी देवी के साथ छेड़खानी करते हुए पीड़िता सुधा देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया है जिसके लिये उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण का अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है, अतः उन्हें अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

सिद्धदोष अपराधीगण के अधिवक्ता का कथन है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा सभी अभियुक्तगण के परिवारीजन उनपर आश्रित हैं। अभियुक्त नरसिंहपाल वरिष्ठ नागरिकता की श्रेणी में है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए सिद्धदोष अपराधी गण रूपेन्द्र, नागेन्द्र, नरसिंह पाल को छेड़खानी, सामूहिक बलात्कार एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप अ0 धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता में बीस–बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं मु0–25–25 हजार रूपये/–रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः–छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में अभियुक्तगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंह पाल को दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0–10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सिद्धदोष अपराधीगण रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंहपाल को दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु0–10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से न्याय की मंशा पूर्ण होगी।

इसी प्रकार अभियुक्त नरेन्द्र को आरोप अ0 धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता में बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं मु0–25 हजार रूपये/–रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह

का अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में अभियुक्त नरेन्द्र को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0–10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण होगी। तदनुसार उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–671/2016 राज्य बनाम रूपेन्द्र आदि सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–142/2015 आरोप अन्तर्गत **धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता** थाना जवॉ अलीगढ़ के दण्डनीय अपराध में सिद्धदोष अपराधीगण **रूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह**, **नागेन्द्र पुत्र लाखन सिंह**, निवासीगण जिरौली हीरासिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ तथा **नरसिंहपाल पुत्र श्यामलाल** निवासी आमा मधापुर, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ प्रत्येक को बीस–बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं मु0–25–25 हजार रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक सिद्धदोषी अपराधी को छः–छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार **धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में सिद्धदोष अपराधीगण **रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंह पाल** को दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0–10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार **धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में दोषसिद्ध अपराधीगण **रूपेन्द्र, नागेन्द्र व नरसिंह पाल** को दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0–10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण संख्या–235/2016 राज्य बनाम नरेन्द्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–142/2015 आरोप अन्तर्गत **धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता** थाना जवॉ अलीगढ़ के दण्डनीय अपराध में सिद्धदोष अपराधी **नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह** निवासी जिरौली हीरासिंह, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ को बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं मु0–25 हजार रूपये/ (पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोषी अपराधी को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार **धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में अभियुक्त **नरेन्द्र पुत्र वीरी सिंह** को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं मु0–10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र वीरीसिंह को आरोप अन्तर्गत धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

सिद्धदोष अपराधीगण की उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी तथा उनके द्वारा इस प्रकरण में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि दी गयी सजा में समायोजित की जायेगी।

धारा–357 दण्ड प्रक्रिया संहिता/395 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्राविधान के अन्तर्गत सिद्धदोष अपराधीगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि इस प्रकरण के वादिया/पीड़िता सुधा देवी को देय होगी।

सिद्धदोष अपराधीगण को निर्णय की एक निःशुल्क प्रति अविलम्ब प्रदान की जावे तथा सिद्धदोष अपराधी का उपरोक्त दण्ड भुगतने हेतु उसका सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जावे। इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–235/2016 राज्य बनाम नरेन्द्र में भी रखी जावे।

दिनांकः–10.06.2026

(**विपिन कुमार–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, अलीगढ़।
ID :- UP 6070

निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–10.06.2026

(**विपिन कुमार–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, अलीगढ़।
ID :- UP 6070

Digitally signed by VIPIN KUMAR
Date: 2026.06.10 16:04:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court